# ‘आर.बी.आई. की जानकारी के बगैर रखे 100 से ज्यादा लॉकर’

## गणपति प्लाजा के लाकर्स में भरष्टाचार से अर्जित 500 करोड़ रुपया एवं 50 किलो सोना है : किरोड़ी लाल

**जयपुर।** राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मीडिया कर्मियों के साथ छापे मारी अंदाज़ में गणपति प्लाजा पहुंचे। वह पर रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स लाकर्स के ऑफिस में अचानक जाकर पहुंचे। ये लॉकर्स आरबीआई की जानकारी के बगैर रखे गये हैं। किसी भी तरह की नियमों के तहत इन लॉकर्स की जानकारी किसी के पास नहीं है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस लॉकर में अशोक गहलोत सरकार के करीबी लोगों ने भ्रष्टाचार से अर्जित (जेजेएम घोटाला, डीओआईटी घोटाला, पेपर लीक से) कर काला धन इस लाकर्स में जमा है। मेरा दावा है कि इस लॉकर में 500 करोड़ रुपया एवं 50 किलो सोना है। डॉक्टर मीणा वहां पर करीब दो घंटे धरने पर बैठे, आखिर में जयपुर पुलिस ने इस लॉकर को सीज़ कर और पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का लिखित आदेश दिया। गणपति प्लाजा स्थित लॉकर्स में इनकम टैक्स की टीम पहुंची एवं जाँच शुरू की।

उधर रात को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम गणपति प्लाजा पहुंची। यहां ईडी ने लॉकर्स के बारे में जानकारी ली। इस दौरान आयकर विभाग की टीम पहले से ही मौजूद रही। इस बीच सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी गणपति प्लाजा

गणपति प्लाजा के रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स लॉकर्स के ऑफिस में शुक्रवार को सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और धरना दिया।

में मौजूद रहे। ईडी की टीम इसके बाद अशोक नगर स्थित योजना भवन के लिए रवाना हो गई। वहीं आयकर विभाग के अधिकारी गणपति प्लाजा में लॉकर्स की जांच में जुटे हुए है। आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक स्तर के आधा दर्जन अधिकारी पहुंचे। अब तक दो दर्जन से ज्यादा लॉकर्स को ऑपरेट किया। कुल 1100 से ज्यादा लॉकर्स की जांच करनी है।

इससे पहले मीणा ने कई सनसनीखेज़ खुलासे किये। मीणा शुक्रवार सुबह से ही हरकत में हैं। सबसे पहले वो पिंकसिटी प्रेस क्लब में पेपर लीक प्रकरण को लेकर कई खुलासे किए और फिर उसके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ उन्होंने अचानक भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसी जगह की जानकारी है, जहां करोड़ों का कालाधन अवैध रूप

- **पेपर लीक के मामले में आरएलपी की पदाधकारी स्पर्धा चौधरी एवं अशोक गहलोत के करीबी दिनेश खोरनिया ने आरपीएससी में कटारा की पैसे देकर नियुक्ति कराई थी और दिनेश और आरपीएससी अध्यक्ष ने मिलकर पेपर लीक कराये : किरोड़ी लाल**
- **रात को ईडी की टीम ने गणपति प्लाजा पहुंचकर लॉकर्स के बारे में जानकारी ली**

से छुपाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर मीणा ने कहा कि बेरोज़गार युवाओं की मेहनत पर पर डाका डालने वाले सुरेश ढाका की मित्र स्पर्धा चौधरी के निवास पर आज ईडी पहुंची। मैंने पहले ही इस नाम का खुलासा किया था और मीडिया से यह भी कहा था की अशोक गहलोत की पुलिस पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढांका को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती क्यूंकि अगर सुरेश ढांका पकड़ में आता तो कांग्रेस के दर्ज़नो विधायक और आधा दर्ज़न मंत्रियों के नाम पेपर लीक में आते। इस कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जांच को आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी दिनेश खोड़निया जिसके बारे में एजेंसियों को पेपर लीक में इनकी लिप्तता के बारे में बता चुका हूँ। ईडी भी इनके डूंगरपुर निवास पर पहुंची। डॉक्टर मीणा ने कहा कि दिनेश खोडनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काले धन का राज़दार है, दिनेश ने ही आरपीएससी में बाबूलाल कटारा की नियुक्ति अशोक गहलोत को 1 करोड़ रुपए देकर कराई और इसी दिनेश खोड़निया ने आरपीएससी अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पेपर तैयार करवाने की ज़िमेदारी दिलवाई जो कि नियमों के विरुद्ध थी। इन पेपर लीक में आरपीएससी अध्यक्ष एवं दिनेश खोड़निया ने मिलकर लगातार पेपर लीक करवाए हैं। मेरी मांग है की आरपीएससी अध्यक्ष से तुरंत पूछताछ कर गिरफ्तार करना चाहिए।

# भाजपा मुख्यालय पर प्रर्दशनकारी मुख्य गेट के ताले तोड़कर अंदर घुसे

**जयपुर।** भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद लगातार विरोध हो रहा है। वही लिस्ट आए हुए करीब चार दिन हो गए हैं, लेकिन पार्टी के जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। विरोध करने वाले भाजपा कार्यालय के मुख्य गेट बंद था और उस पर ताला लगा था लेकिन प्रदर्शनकरियों ने गेट के लगे ताले को तोड़ कर अंदर भाजपा मुख्यालय में घुस गए।

शुक्रवार को भी अलवर जिले की बानसूर, जयपुर की विद्याधर नगर और सवाई माधोपुर की बामनवास सीट पर घोषित प्रत्याशियों का विरोध करने और अपने नेताओं को टिकिट देने की मांग ले कर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। पार्टी ने प्रदर्शनकारियों

- **प्रर्दशनकारियों से जूझते दिखे नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़**

और विरोध को शांत करने के लिए बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है। इसी के तहत पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इन प्रदर्शनकारियों से जूझते नजर आए। उन्होंने सभी की बात ध्यान से सुनी भी और भरोसा भी दिलाया कि कार्यकताओं की मांग और भावना वे ऊपर तक पहुंचा देंगे, लेकिन कार्यकर्ता ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए। एक कार्यकर्ता तो यहां तक कहता सुना गया कि हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं बैठेंगे। पार्टी कार्यालय पर बानसूर विधानसभा क्षेत्र से देवी सिंह शेखावत के टिकट पर विरोध करने और महेंद्र यादव के समर्थन में, वहीं विद्याधर नगर से विष्णु प्रताप सिंह के समर्थन और बामनवास विधानसभा क्षेत्र से रामावतार मीणा के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। दरअसल, जब से पार्टी ने 41 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं तभी से जयपुर से लेकर टोंक और डूंगरपुर तक लगभग सीटों पर विरोध की स्थिति सामने आ रही है और इसे देखते हुए कुछ अन्य सीटों के लोग भी अपना विरोध जताने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। हालांकि पार्टी ने जिला स्तर तक कमेटियां बनाकर विरोध को थामने की। कोशिश की है लेकिन अभी पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है।

# ओ.टी.पी. नहीं मिल रहा तो कैसे होगा प्रशिक्षण पूरा : हाईकोर्ट

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारी वाहन चलाना सीखने वाले अभ्यर्थियों के पास ओटीपी नहीं आने पर प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सहित अलवर आरटीओ व डीटीओ को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन ओटीपी ही नहीं आ रहा है तो उनका प्रशिक्षण तय समय में कैसे पूरा हो पाएगा। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश अवनी मोटर ड्राइविंग स्कूल व 3 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लिए 13 अप्रैल, 2018 को एमडीएसआर-2018 गाइडलाइन जारी की। यह गाइड लाइन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत जारी की गई। जबकि राज्य सरकार को केन्द्रीय कानून के तहत गाइडलाइन जारी करने का अधिकार नहीं है। वहीं इस गाइड लाइन के तहत भारी वाहनों के लिए तीस दिन का प्रशिक्षण का प्रावधान है। वहीं अब पाठ्यक्रम में उपस्थिति को ऑनलाइन कर दिया गया है। अभ्यर्थी को कक्षा में जाने के बाद ओटीपी सृजित करना होगा और इसे स्कूल संचालक को देने के बाद वह उसे परिवहन विभाग को भेजेगा। इसी तरह कक्षा पूरी होने के बाद भी ओटीपी सृजित कर ऐसी कार्रवाई करनी होगी। याचिका में कहा गया कि परिवहन विभाग अभ्यर्थियों को ओटीपी ही नहीं भेज रहा है। जिसके चलते अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही और उनका एक माह का कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में स्कूल संचालक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं दे पा रहे हैं और इसके अभाव में उनका भारी वाहन का लाइसेंस भी नहीं बन पा रहा है। याचिका में कहा गया कि ओटीपी के अभाव में कक्षाएं नहीं होने के चलते याचिकाकर्ता को लाखों रुपए के भारी वाहन धूल खा रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

# कांग्रेस किस मुंह से महंगाई कम करने का दावा करती है : अर्जुनराम मेघवाल

## ‘देश की महंगाई दर 5.03 प्रतिशत और राजस्थान की महंगाई दर 6.53 प्रतिशत’

**जयपुर।** भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज केंद्रीय कानून मंत्री एवं संकल्प पत्र समिति संयोजक अर्जुनराम मेघवाल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के गुड गवर्नेंस के सभी दावों की पोल खोली। महंगाई राहत कैंप के नाम से जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ाने का काम किया है।

मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नारा दिया था कि गुड गवर्नेंस देंगे, लेकिन किसानों की ऋण माफी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर झूठ और भ्रम का जाल फैला कर ये लोग सत्ता में आए हैं। इनके द्वारा किया गया गुड गवर्ननेंस का

- **‘गुड गवर्नेंस का वादा करके प्रदेश को बैड गवर्नेंस की ओर ले गई कांग्रेस सरकार’**

वादा बैड गवर्नेंस में बदल गया प्रदेश की जीडीपी डाउन है, और कर्जा बढ़ा है। हमारे सामने महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखें तो राजस्थान महंगाई के मामले में काफी ऊपर चला गया, जबकि यह नीचे जाना चाहिए था। हम देश की महंगाई दर को देखें तो वह 5.03 प्रतिशत है और वहीं राजस्थान में महंगाई दर 6.53 प्रतिशत है। ऐसे में कांग्रेस जब यह कहती है कि हमने महंगाई कम की है तो इनकी पोल खुल जाती है।

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि देश की महंगाई दर और राजस्थान की महंगाई दर की तुलना करेंगे तो साफ अंतर दिखता है। कांग्रेस के लोग जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इस तरह ये लोग गुड गवर्ननेंस की बात करते हैं जबकि सच यह है कि, प्रदेश को बैड गवर्ननेंस ही मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इकोनॉमी डाउन होने से बेरोजगारी दर बढ़ने लगी और उसी का परिणाम है , कि प्रदेश में अपराध और उत्पीड़न के मामले बढ़ने लगे हैं। केंद्र में 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब देश अर्थव्यवस्था के मामले में दसवें नंबर पर था उसके बाद हमने सकारात्मक ऊर्जा से काम करना शुरू किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निवेश को बढ़ाने का काम किया।

## अविचल चतुर्वेदी को अलवर कलेक्टर लगाया

**जयपुर**, (का.सं.)। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अविचल चतुर्वेदी को अलवर कलेक्टर लगाया है।

# नियमों की अवहेलना कर कैसे किया शिक्षकों का चयन?

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दस हजार से ज्यादा प्राचार्य व उप प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों व कार्मिकों का नियमों के विपरीत जाकर चयन करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से 19 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने पूछा कि इनका चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के जरिए ही क्यों किया गया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश कल्याणी की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने जून, 2023 में महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय व सभी अन्य राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञिप्त जारी की। विज्ञिप्त में स्कूल प्राचार्य, उपप्राचार्य सहित विभिन्न विषयों के लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल-2 व लेवल- एक सहित 13 विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे। जिसमें अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण कौशलता की प्रमुख शर्त रखी गई। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 17 जून को इन पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। इसमें भी स्पष्ट किया कि इन स्कूलों में कार्मिकों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू से पहले यदि लिखित टेस्ट लिया जाए तो वह तीस अंकों का और इंटरव्यू भी तीस अंकों का होगा। इसमें से हर में न्यूनतम 12 अंक लाना जरूरी होगा। इसके बावजूद विभाग ने केवल लिखित परीक्षा ही ली और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही शिक्षकों व कार्मिकों का चयन कर लिया। वहीं 2 व 4 अक्टूबर को चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए पूरे प्रदेश के स्कूलों में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। याचिका में कहा कि राज्य सरकार की यह प्रक्रिया नियमों के विपरीत है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2023 में ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चयन के लिए विशेष नियम बनाए हैं। जिसके नियम 10 व 11 में केवल इंटरव्यू के आधार पर ही इन स्कूलों में चयन का प्रावधान किया है। इंटरव्यू के जरिए ही शिक्षकों व कार्मिकों की इंग्लिश की योग्यता को परखा जा सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

# पांच पुलिस अधीक्षक के तबादले

**जयपुर।** आचार संहिता लगने के बाद शुक्रवार को राज्यपाल के आदेश पर संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा ने पांच पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए हैं। इसमें राजीव पचार को हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईपीएस योगेश दाधीच को पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, आलोक श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक

- **डॉ.राजीव पचार को हनुमानगढ़ व योगेश दाधीच को भिवाड़ी एसपी लगाया**

डीडवाना कुचामन, शांतनु कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण और प्रवीण नायक नूनावत का पुलिस अधीक्षक चूरू के पद पर तबादला किया गया है।


**तीये की बैठक**

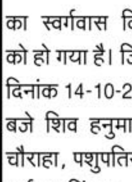

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती मुन्नीदेवी गुर्जर** का स्वर्गवास दिनांक 12-10-2023 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 14-10-2023 को सायं 4 से 5 बजे शिव हनुमान मंदिर, भगतसिंह चौराहा, पशुपतिनाथ नगर, प्रभुदयाल मार्ग, बुद्धसिंहपुरा, एयरपोर्ट रोड़ सांगानेर पर होगी।

**शोकाकुल-** गुलाबचन्द हरसल (पति), ओम प्रकाशजी (जेठ), सुशील, कौशल (देवर), रवि, आकाश (पुत्र), प्रणव, पार्थ, काव्यांश (पौत्र) एवम् समस्त हरसल परिवार

75688887145, 9057532442

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

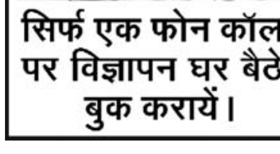

**सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।**

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-2076 दिनांक-13.10.2023

**प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन** जयपुर क्षेत्र में स्थित दी सांगानेर कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.की योजना वरुण कॉलोनी (ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) के भूखण्ड संख्या सी-10 क्षेत्रफल 972.16 व.ग.की लीजडीड दिनांक 03.07.2023 को श्रीमती रितु शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा, भू.स.सी-10ए क्षेत्रफल 587.50 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 03.07.2023 को श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा एवं भूखण्ड संख्या सी-11 क्षेत्रफल 1375.27 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 07.12.2023 को श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नाम से जारी की गई थी। तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.09.2023 को उक्त भूखण्ड संख्या सी-10, सी-10ए एण्ड सी-11 क्षेत्रफल 2934.93 व.ग. का श्रीमती रितु शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा एवं श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पक्ष में पुर्नगठन कर नाम हस्तान्तरण कर दिया गया।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित सैक्टर व्यावसायिक के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर-पूर्वी दिशा में भूखण्ड संख्या सी-5 व सी-06, पश्चिमी-दक्षिणी दिशा में भू.सं. सी-9 व अन्य योजना है तथा भूखण्ड 60 मीटर सेक्टर सड़क पर स्थित है।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव जोन कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक..... को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1998 दिनांक-13.10.2023

**प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन** जयपुर क्षेत्र में स्थित जयपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि.की योजना आदिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या एस-4 क्षेत्रफल 478.00 वर्गगज की लीजडीड जविप्रा के द्वारा दिनांक 12.05.2023 को श्री अजय ठठ्ठा पुत्र श्री कानमल ठठ्ठा के नाम से जारी किया गया। श्री अजय ठठ्ठा पुत्र श्री कानमल ठठ्ठा के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 40 फीट रोड, दक्षिण दिशा की ओर भूखण्ड संख्या एस-3, पूर्वी दिशा की ओर भूखण्ड संख्या एस-47 एवं पश्चिमी दिशा की ओर 80 फीट रोड स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13.10.2023 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-2079 दिनांक-13.10.2023

**प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन** जयपुर क्षेत्र में स्थित दी सांगानेर कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.की योजना वरुण कॉलोनी (ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) के भूखण्ड संख्या सी-9ए क्षेत्रफल 936.09 व.ग.की लीजडीड दिनांक 03.07.2023 को श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री ऋषि सोदावत एवं भूखण्ड सी-9 क्षेत्रफल 988.34 व.ग. की लीजडीड दिनांक 03.07.2023 को श्री कृष्ण कन्हैया शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा के नाम से जारी की गई थी। तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.09.2023 को उक्त भूखण्ड संख्या सी-9 एण्ड सी-9ए क्षेत्रफल 1924.43 व.ग. का श्री कृष्ण कन्हैया शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा के पक्ष में पुर्नगठन कर नाम हस्तान्तरण कर दिया गया।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित सैक्टर व्यावसायिक के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर-दिशा में भूखण्ड संख्या बी-1, दक्षिण मे भूखण्ड संख्या सी-11 व सी-10ए, पूर्व दिशा में 60 मीटर सेक्टर सडक तथा पश्चिम दिशा में सी-7 व सी-8 स्थित है।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव जोन कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक..... को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-2077 दिनांक-13.10.2023

**प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन** जयपुर क्षेत्र में स्थित बस्सी सीतारामपुरा बी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सुन्दर नगर (ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) के भूखण्ड संख्या ए-22 क्षेत्रफल 452.95 व.ग. की आवासीय लीजडीड दिनांक 28.07.2023 को श्री रामकरण पुत्र स्व.श्री नाथूराम एवं श्री जगदीश पुत्र स्व.श्री नाथूराम के नाम से जारी की गई थी। राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार दक्षिण दिशा में भूखण्ड ए-66 सी, पश्चिमी दिशा में भू.सं. ए-22ए तथा पूर्वी दिशा में 30 फीट सडक व उत्तरी दिशा में भूखण्ड के सामने 30 मीटर सेक्टर सडक पर स्थित हैं।

किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव जोन कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक..... को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय**

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2066 दिनांक-13.10.2023

**जाहिर आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 31/49/08, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 11.710 वर्ग मीटर /वर्ग गज का आवंटन श्री बिन्दु खाँ पुत्र श्री छोटे खाँ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3304 दिनांक 27.2.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 4.4.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1861 दिनांक 22.2.2011 के द्वारा श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री दयालदास केसवानी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.03.2013 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती कविता देवी की मृत्यु दिनांक 7.6.2017 को हो जाने के कारण इनके पति श्री दयालदास केसवानी पुत्र स्व. श्री पारूमल केसवानी ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं हकत्याग प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देव, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री दयालदास केसवानी पुत्र स्व. श्री पारूमल केसवानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय**

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2028 दिनांक-10.10.2023

**जाहिर आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 35/16, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 102.550 वर्ग मीटर /वर्ग गज का आवंटन श्री परतुमल किशनानी पुत्र स्व. श्री तंवरमल किशनानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3957 दिनांक 12.12.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 2.3.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री परतुमल किशनानी की मृत्यु दिनांक 29.4.1995 को हो जाने के कारण श्री दीपक सबनानी, श्री दलीप उर्फ दीपिका सबनानी, श्री धीरज सबनानी एवं श्री दिनेश सबनानी ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देव, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति /आवेदक श्री दीपक सबनानी, श्री दलीप उर्फ दीपिका सबनानी, श्री धीरज सबनानी एवं श्री दिनेश सबनानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

**उत्तर पश्चिम रेलवे** G20

ई- निविदा संख्या: 08-LWS-OPN-3834-2023 दिनांक :- 11.10.2023

**खुली ई-निविदा सूचना 2023-24**

**1. कार्य का नामः** इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 3834 (लेटेस्ट संशोधन यदि कोई हो) विथ डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल ऑडिटिंग, सर्टिफिकेशन व सर्विलांस ऑडिटिंग इन डीजल लोको एंड वैगन वर्कशॉप अजमेर (स्कोप ऑफ़ वर्क के अनुसार) **2. कार्य की अनुमानित लागतः** रू 1,08,498.38, **3 कार्य का स्थानः** डीजल लोको एवं वैगन कारखाना, लाल फाटक के पास, अजमेर (राज)-305001, **4. बिड सिक्यूरिटी/धरोहर राशिः** रू 2,200.00 (रू दो हज़ार दो सो केवल), **5. ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एव खुलने का समय व दिनाकः** 06.11.2023 को 11.00 बजे तक ई-निविदा उसी दिन 11.15 पर खोली जायेगी। अपरिहार्य कारणों के चलते निविदा खोले जाने के शेड्यूल में परिवर्तन किया जा सकता है, **6. वेबसाइट विवरण जहाँ से ई-निविदा की पूर्ण जानकारी देखी व इसमें भाग लिया जा सकेः** www.ireps.gov.in. (Note- यह ई-निविदा है अतः निविदाकार द्वारा केवल वर्णित वेबसाइट के माध्यम से निविदा अवधि में ही ई - निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।)

1092-PR/23

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**उत्तर पश्चिम रेलवे** G20

**खुली ई-निविदा सूचना**

मंडल रेल प्रबंधक (कैरिज व वैगन) उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिए दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युयल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **1. ई- निविदा संख्याः** M/137/C&W/JP/HBD, **2. कार्य का नाम व स्थानः** Installation / Sifting of Hot Axle Box Detector (HABD) at various locations over Jaipur Division, **3. अनुमानित लागतः** ₹16406174.00 मात्र (₹ एक करोड़ चौंसठ लाख छः हजार एक सौ चौहत्तर मात्र), **4. बिड सिक्योरिटी राशिः** ₹ 232100.00 मात्र (रु दो लाख बत्तीस हजार एक सौ रूपये मात्र), **5. ई-निविदा की अंतिम दिनांक और समयः** 02.11.2023 समय 15:00 बजे, **6. ई- निविदा खोलने की दिनांक और समयः** 02.11.2023 समय 15:30 बजे। उक्त ई-निविदा के सम्बध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर पर उपलब्ध हैं।

1094-PR/23

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

**उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)**

**व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 255/23**

**विषयः** उत्तराधिकार प्रमाण- पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना - पत्र।

**प्रार्थी-** नाम अविनाश पुत्र श्री लाल चन्द जाति हरिजन विवाद स्थान प्लॉट नं. 6/64 हरिजन क्वाटर, रामनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर मृतक स्व. श्री गोपाल की सम्पत्ति के विषय में।

**पेशी दिनांक:** 02.11.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम- स्व. श्री गोपाल पुत्र बन्नाराम जाति हरिजन, निवासी प्लॉट नं. 6/64 हरिजन क्वॉटर, रामनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रामाण - पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रिेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना- पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 11सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

उद्घोषणा के प्रतियां, न्यायालय के सहायक परिसेवी को भेजकर निर्देश दिया जाता है कि एक प्रति मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर दूसरी प्रति निवास स्थान के सार्वजनिक दृश्य स्थान पर ढोल बजाकर, तीसरी प्रति न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाकर चतुर्थ प्रति पर, तामिली रिपोर्ट अंकित पर पेशी के पूर्व वापिस लोटाई जावे।

आज्ञा से

गोल मोहर **वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय**

**आम सूचना** हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री नत्थूराम उम्र 80 वर्ष एवं पुष्पा देवी पत्नि श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 75 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी -बी-3 सरस्वती कॉलोनी टोक फाटक टोक रोड जयपुर राज.का पुत्र प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने व सुनने में नहीं है गलत संगत एवं गलत व्यवहार होने के कारण मेरे अभिभाष्य अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से इसे बेदखल करते है एवं रिश्तानाता व सम्बन्ध खत्म करते है भविष्य में जो भी इससे लेने-देन व सम्बन्ध रखेगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा सो सूचित रहे।

शिवरतन विजयवर्गीय, एडवोकेट
60/74 श्योपुर रोड प्रताप नगर सांगानेर जयपुर
मो.9414049911

**विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन**

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्सी स्थान महानगर प्रथम अनिल व अन्य विरुद्ध कमल व अन्य

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद सं. 36 सन 2023

बनाम श्रीमती रेखा मीणा पुत्र श्री पूरण मीणा जाति मीणा स्थान 92, भगवान विहार, गोनेर रोड, लूनियावास, जयपुर (राज.) वादी ने आपके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में 16 तारीख 10 माह 23 सन् को दिन में 10 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपके सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता 10.10.23 सन को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर रीडर-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी जयपुर महानगर प्रथम

**हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना**

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी, महानगर प्रथम अनिल व अन्य विरुद्ध कमल व अन्य वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र संख्या 58/2023 सन

नाम श्रीमती रेखा मीणा पत्नी श्री पूरण मीणा जाति मीणा पता 92, भगवान विहार, गोनेर रोड, लूनियावास, जयपुर 302031

उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 16.10.23 को 10 एएम पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा। यह आज ता. 10.10.23 माह सन को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।

रीडर-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मोहर बस्सी जयपुर महानगर प्रथम

**नाम परिवर्तन**

I, Mahendra Kumar Vijay S/o Ram Pratap Vijay R/o 314, Lane 1, Janpath, Rani Sati Nagar, Nirman Nagar, Jaipur Raj 302019, have changed my name from Mahendra Kumar Vijay to Mahendra Vijay for all future purposes.

I Narayani is legally wedded spouse of Army No 13875326Y Ex Hav Phool Chand R/O A-240 Khirni Phatak Road, Jhotwara, Jaipur have changed my name NARAYANI is wrongly entered in PPO No. S/062916/98 (Army) to NARAYANI DEVI (DOB 20/6/1961) vide affidavit dated 13 oct 2023 before district notary Jaipur

**खोया पाया**

मेरे आवास मकान संख्या- 5/31, मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन-पत्र, कब्जा-पत्र एवं अदेय प्रमाण-पत्र, कहीं खो गये है मिलने पर सूचित करें- अभिमन्यु घोषाल, मो. 7976492758

मेरा फ्लैट संख्या 28/D/F-2/10, 2F झैलम अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, जयपुर का मूल संशोधित आवंटन पत्र, मुझसे कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। उमा दत्त त्रिपाठी मो.नं.7014612959

बस्सी सीतारामपूरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना प्रेम नगर - विस्तार के प्लाट न.A-5/3 का मूल दस्तावेज -पट्टा, साईट प्लान, रसीद, व भूखंड के सम्बधित अन्य मूल दस्तावेज कही खो गये है मिलने पर सुचित करे। महावीर सिंह शेखावत 9216878474

I, Krishan Kumar Bhargava, R/o 4/134, Jawahar Nagar, Jaipur have lost Original Allotment Letter of 4/134, Jawahar Nagar, Jaipur. If Found Please inform.

**हैतुक दर्शित करने का लिए सूचना**

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय सिविल न्यायाधीश पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय रेनू कुमारी विरुद्ध बहादुर सिंह

वाद/प्रार्थना पत्र T.I

प्रार्थना-पत्र संख्या 154/23 सन्

नाम बहादुर सिंह पुत्र सामर सिंह जाति पता E-45

प्रेमनगर, शर्मा जी का मकान, झोटवाडा, जयपुर 302021 उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.....

अतः आपको चेतावनी दी जाती हैकि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 16 माह 10 सन् 2023 को 10.30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 12 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर द्वितीय

**विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन**

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सिविल न्यायाधीश पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय रेनू कुमारी विरुद्ध बहादुर सिंह वाद बाबत C.S.

वाद सं. 202/23

बनाम बहादुर सिंह पुत्र शामर सिंह जाति स्थान स्थान E-45 प्रेमनगर, शर्मा जी का मकान, झोटवाडा, जयपुर 302012

वादी ने आपके विरुद्ध 1 के लिये वाद पंजीयत किया है।आपका इस न्यायाल में तारीख 16 माह 10 सन् 2023 को दिन में 10.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोईव्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 12 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

रीडर
सिविल न्यायालय एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर-द्वितीय
मोहर

**उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)**

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 03/23

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी-नाम पीयूष खपेड पुत्र श्री पुष्कर उर्फ राकेश कुमार खपेड जाति महाजन

विवाद स्थान वार्ड 27 खटोडों का मोहल्ला, चौमूं मृतक पुष्कर उर्फ राकेश कुमार खपेड की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 27.10.23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम पुष्कर उर्फ राकेश कुमार पुत्र श्री चौथमल खपेड जाति महाजन निवासी वार्ड नं.27 खपेडों का मौहल्ला तह. चौमूं का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 27 माह 10 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 6 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर आज्ञा से-रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-10 जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं